HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 691/2025
URN: CMA / 1220U / 2025

Dheeraj Singh S/o Mohan Singh, Aged 34 Years, R/o Kukra Khurd Tehsil Ramganjmandi At Present Reside At Koli Pada, Annatpura Distt. Kota

----Claimant-Appellant

Versus

1. Nawab Singh S/o Tej Singh, R/o Ibrahmpur Nagriya Post Rijor Distt Ata U.P. (Driver Of Truck No. H.R. 47 D 3019)
2. Mukesh Kumar S/o Rameshwar Dayal, R/o Berla Police Station Bhatra Distt Bhiwari Hariyana (Registered Owner Of Truck No. H.R 47 D 3019)
3. National Insurance Co. Ltd., Through Regional Manager At Regional Office NBCC, Beema Bhawan, Jyoti Nagar Sahakar Marg, Jaipur 302015 (Insurer Of Truck No. H.R 47 D 3019)

----Non-Claimants-Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Sunil Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Tripurari Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

01/07/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय **मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम–1, कोटा** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–394/2018, धीरज सिंह बनाम नवाब सिंह व अन्य** में पारित निर्णय **दिनांक 06.09.2024** के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 23,70,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम

याचिका में याची को **कुल 4,05,819/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **7.5 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,382/– रूपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी मजदूरी का कार्य कर 9,000/– रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। दुर्घटना में अपीलार्थी के पैर में अस्भिभंग व अन्य गंभीर चोटें कारित हुई है, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 18 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 18 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–25 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.**

reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 26.09.2017 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को मजदूरी का कार्य कर 9,000/– रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किंतु अपीलार्थी द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसे अकुशल श्रमिक होना मानते हुए अपीलार्थी की

मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 207 x 26 = 5,382/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। जबकि अपीलार्थी की आय की गणना 30 दिवस के आधार पर तय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थी की आय 207 x 30 = 6,210/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। वक्त घटना अपीलार्थी को 28 वर्ष की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 6,210/– रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत (2,484/– रुपये) की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 8,694/– रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में दाएं पैर में गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के शरीर में कुल 18 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी की 18 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर आय की क्षति भी 18 प्रतिशत ही मानी है। चूंकि अपीलार्थी को मजदूर श्रेणी का व्यक्ति बताया गया है तथा मजदूर को अपने शरीर का संपूर्ण बल लगाकर कार्य करना होता है। अतः अपीलार्थी को 18 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता होने के आधार पर हम भी अपीलार्थी को आय की क्षति 18 प्रतिशत होना पाते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी की मासिक आय 8,694/– रुपये का 18 प्रतिशत 1,565/– रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी को 28 वर्ष आयु का माना गया है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **17 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अपीलार्थी को भविष्य में

होने वाली आय की कुल क्षति **1,565 x 12 x 17 = 3,19,260/– रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को साधारण व गंभीर चोट की मद में कुल 12,500/– रुपये, मेडिकल बिलों की मद में 8,995/– रुपये, अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 4,200/– रुपये, शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी की मद में संयुक्त रूप से 1,00,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है। अतः उक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को पौष्टिक आहार की मद में 3,500/– रुपये की राशि दिलवाई गई है तथा परिवहन व यातायात की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः हम अपीलार्थी को पौष्टिक आहार तथा परिवहन व यातायात की मद में संयुक्त रूप से 10,000/– रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि**
1.	भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में	3,19,260/– रुपये
2.	साधारण व गंभीर चोट की मद में	12,500/– रुपये
3.	मेडिकल बिलों की मद में	8,995/– रुपये
4.	7 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	4,200/– रूपये
5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी के मद में	1,00,000/– रुपये
6.	पौष्टिक आहार तथा परिवहन व यातायात की मद में	10,000/– रूपये
7.	**इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि**	**4,54,955/– रुपये**
8.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	4,05,819/– रुपये
9.	**बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर**	**49,136/– रुपये**

12. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **4,05,819/– रूपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **4,54,955/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

13. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

14. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

118-S/KESHAV VERMA